भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 925
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पीएमएमवीवाई योजना का कार्यान्वयन

925. डॉ. रानी श्रीकुमारः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः
श्री जी. सेल्वमः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त राज्य में पीएमएमवीवाई के अंतर्गत आवंटित, जारी की गई/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त राज्य में पहले बच्चे के लिए मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं तथा दूसरे बच्चे के लड़की होने की स्थिति में दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपए प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने उक्त राज्य में पात्र लाभार्थियों के नामांकन में सुधार करने और उन्हें समय पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सुनिश्चित करने के लिए कोई जागरूकता/पहुंच कार्यक्रम चलाए हैं; और
(ङ) उक्त राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत लाभों के संवितरण में यदि कोई देरी हुई है, तो उसे दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): तमिलनाडु में 01.04.2023 से 31.12.2025 तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। एसएनए-स्पर्श प्रणाली पर पीएमएमवीवाई की ऑनबोर्डिंग से संबंधित एपीआई के कार्यान्वयन की राज्य स्तरीय प्रक्रिया जारी होने के

कारण, 01.01.2026 के बाद का जिला-वार भुगतान डेटा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में पीएमएमवीवाई के तहत जारी एवं उपयोग की गई निधि का विवरण निम्न अनुसार है:

वित्तीय वर्ष	**जारी की गई राशि (₹ करोड़ में)**	**उपयोग की गई राशि (₹ करोड़ में)**
2023-24	शून्य*	63.29
2024-25	95.62	66.93
2025-26	109.58	97.76
2026-27 (20.07.2026 तक)	31.09	31.09

*एसएनए *खाते में पर्याप्त* निधि *उपलब्ध होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य को* निधि *जारी नहीं की गई।*

01.04.2023 से 20.07.2026 तक, तमिलनाडु में अनुमानित 8.40 लाख महिलाओं को पहले बच्चे और दूसरा बच्चा बालिका होने पर मातृत्व लाभ प्राप्त हुआ है। एसएनए-स्पर्श प्रणाली पर पीएमएमवीवाई ऑनबोर्डिंग से संबंधित एपीआई के कार्यान्वयन की प्रक्रिया राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर जारी रहने के कारण, लाभार्थी भुगतान डेटा पीएफएमएस पोर्टल के डेटा पर आधारित केवल एक अनुमान है। इसके अतिरिक्त, 31.03.2023 से पहले पुरानी प्रणाली (पीएमएमवीवाई-सीएएस) में पंजीकृत 8.39 लाख महिलाओं को भी 31.03.2023 के बाद नई प्रणाली (पीएमएमवीवाईसॉफ्टएमआईएस) के माध्यम से भुगतान किया गया था।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो के लिए 'संकल्प - महिला सशक्तिकरण केंद्र' योजना के माध्यम से मातृत्व लाभ सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार के विविध कार्यकलाप जैसे कि प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो पर जिंगल प्रसारण, सेल्फी अभियान, घर-घर अभियान तथा सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं, जो फील्ड कार्यकर्ताओं के स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय

समय-समय पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई के तहत पंजीकृत करने के लिए विशेष अभियान भी चलाता है।

हाल के समय में, भारत सरकार ने पीएमएमवीवाई के तहत नामांकन में सुधार करने, पात्र लाभार्थियों को समय पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित करने और लाभों के वितरण में होने वाले विलंब को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

I. पीएमएमवीवाई के लिए मार्च 2023 में एक नया पूरी तरह से कागज रहित पोर्टल शुरू किया गया था। पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार, कागज़ का फॉर्म भरकर आगे की प्रक्रिया के लिए पुराने पीएमएमवीवाई-सीएएस पोर्टल पर अपलोड करने होते थे। नई प्रणाली में कागज़ में आवेदन पत्रों को समाप्त कर दिया गया है और पूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान किया गया है।

II. भुगतान, आधार ब्रिज पेमेंट्स सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं, क्योंकि पीएमएमवीवाई पोर्टल पर आवेदकों के पहचान विवरण की पुष्टि के लिए आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (फेशियल रिक्गनिशन सिस्टम के माध्यम से) की सुविधा है।
III. तीव्र प्रक्रिया के लिए पंजीकरण के समय ही आधार सत्यापन, बैंक खाते का डीबीटी-सक्षम होना आदि जैसी सभी अनिवार्य शर्तों की जांच की जाती है।
IV. सभी पंजीकृत लाभार्थियों के लिए आवेदन की स्वीकृति और भुगतान स्थिति की जांच करने हेतु 'खोजें और स्थिति ट्रैक करें' की सुविधा उपलब्ध है।
V. सभी नागरिकों के लिए पीएमएमवीवाई से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराने हेतु शिकायत दर्ज करने और स्थिति का पता लगाने के लिए मॉड्यूल उपलब्ध है। यह मॉड्यूल शिकायत को सीधे कार्यान्वयन अधिकारियों को भेजता है, जिससे समय की बचत होती है और त्वरित समाधान होता है।
VI. पीएमएमवीवाई से संबंधित पूछताछ और शिकायतों के लिए टोल-फ्री एवं बहुभाषी (17 भाषाओं) हेल्पलाइन (1515) उपलब्ध है। पारदर्शिता के उद्देश्य से, आवेदकों/लाभार्थियों को आवेदन के पंजीकरण, अस्वीकृति, भुगतान आदि जैसे विभिन्न चरणों पर 12 प्रमुख भाषाओं में से एक में एसएमएस प्राप्त होता है।
VII. पीएमएमवीवाई पोर्टल आंगनवाड़ी केंद्र स्तर तक एलजीडी अनुपालन योग्य है। राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव/ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर तक एलजीडी सीडिंग शुरू की गई है।

VIII. ओपन एपीआई अन्य केंद्रीय एवं राज्य के मंत्रालयों/विभागों के साथ डेटा साझा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

IX. विस्तृत निगरानी/विश्लेषण के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव/वार्ड/परियोजना/सेक्टर/आंगनवाड़ी स्तर पर एमआईएस डेटा तैयार किया जा सकता है।

X. पीएमएमवीवाई का उपयोग, आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा डेटा-केंद्रित संचालन और रिपोर्ट देखने के लिए किया जाएगा।

XI. पोषण ट्रैकर पर गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओ के उपलब्ध डेटाबेस का उपयोग एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा स्तर पर सुलभ पीएमएमवीवाई पोर्टल पर संभावित लाभार्थियों की 'सूची' (Due List) बनाने के लिए किया जाता है।

अनुलग्नक

'पीएमएमवीवाई योजना का कार्यान्वयन' विषय पर माननीय सांसद, लोक सभा डॉ. रानी श्रीकुमार, श्री सी. एन. अन्नादुरई, श्री जी. सेल्वम द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 925 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

01.04.2023 से 31.12.2025 तक तमिलनाडु राज्य में पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी^

क्र.सं.	जिला	भुगतान प्राप्त लाभार्थी#
1	अरियालूर	17,966
2	चेंगलपट्टू	20,912
3	चेन्नई	70,694
4	कोयंबटूर	78,360
5	कुड्डालोर	49,869
6	धर्मपुरी	35,183
7	डिडीगुल	41,747
8	ईरोड	34,597
9	कल्लाकुरिची	13,169
10	कांचीपुरम	42,919
11	कन्याकुमारी	27,181
12	करूर	21,275
13	कृष्णागिरी	35,026
14	मदुरै	60,316
15	मयिलादुथुरै	8,581
16	नागापट्टिनम	17,712
17	नामक्कल	32,347
18	पेरम्बलूर	11,898
19	पुदुक्कोट्ई	35,123
20	रामनाथपुरम	24,370
21	रानीपेट	8,089
22	सेलम	64,566
23	शिवगंगा	27,697

24	तेनकासी	12,659
25	तंजावुर	35,539
26	द नीलगिरीज	8,176
27	थेनी	17,236
28	तिरुवल्लूर	41,902
29	तिरुवारूर	23,405
30	तिरुचिरापल्ली	53,422
31	तिरुनेलवेली	44,972
32	तिरुपत्तूर	10,793
33	तिरुपुर	44,320
34	तिरुवन्नामलाय	37,270
35	तुतीकोरिन	22,043
36	वेल्लोर	51,017
37	विल्लुपुरम	48,103
38	विरुधूनगर	31,253
	कुल	**12,61,707**

^एसएनए-स्पर्श प्रणाली पर पीएमएमवीवाई ऑनबोर्डिंग से संबंधित एपीआई के कार्यान्वयन की राज्य स्तरीय प्रक्रिया जारी होने के कारण, 01.01.2026 के बाद का जिला-वार भुगतान डेटा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

#इसमें पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) में पंजीकृत लाभार्थी शामिल हैं।
